अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं0– 294/2016-17

वाद का प्रकारः– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
9.11.22	**Covid-19** के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तानान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक 8.12.2022 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) 09/11/22 अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
8.12.2022	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सह–पठित –श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू– अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं0–3 खा0म0निति 119/85/2308/रा0, दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं0– 914/रा0 दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा0, दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म [illegible]) की कायम की गयी जमाबंदियो की जॉच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अचंल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नाकित विवरणी की भूमि:– मौजा ओरकी खुर्द थाना नं0 247 खाता सं0 25 प्लॉट सं0 — रकबा 1.50 एकड की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म [illegible] अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द सं0 [illegible] के पृष्ट सं0 68 पर जमाबंदी रैयत [illegible] पिता [illegible] — के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं	

Scanned with CamScanner

उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।

08/12/22

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24.12.22 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में [illegible] पत्रांक-18326 .... समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.1.2023 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

7.1.23 अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा [illegible] मौजा नं0 247 खाता सं0- 25 प्लॉट सं0- 533, 106 -, रकबा 1.5045 किस्म [illegible] खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत/ वंशज के द्वारा दिनांक 01/01/1946 के पूर्व का ठोस राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। चुँकि उक्त प्लॉट का किस्म [illegible] दर्ज है, अतः जमाबंदी को नियमितिकरण नहीं किया जा सकती है। उक्त के आलोक में अवैध जमाबंदीदार [illegible] के नाम से पंजी-II में कायम जमाबंदी सं0 68/II को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षके के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी सं0 68/II को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

07/01/23

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अंचल अधिकारी
छत्तरपुर।

Scanned with CamScanner

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक–लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम – पलामू, छतरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एंव भूमि का विवरण :–

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं॰	खाता नं॰	खेसरा नं॰	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
तिलक सिंह भी जैसरी सिंह पिता गणेश सिंह	केरकी खुर्द	297	25	533,106	1.50	गैरमजरूआ मालिक	जंगल झाड़ी

3. भूमि का वर्त्तमान स्वरूप :– जंगल झाड़ी

4. अवैध जमाबंदी पंजी–II में कब से संधारित है? :– पंजी II में मांग कायम का आधार दर्ज नहीं है।

5. उक्त जामबंदी पंजी–II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पत्ता कर उल्लेखित करें) :– पंजी II में आधार दर्ज नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल – खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :–

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार :–
   (क) अनिबंधित ,सादा हुकुमनामा
   (ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :–
   (ग) अवैध भू–बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :–

NA

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा–कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/–रूपये से कम या इससे अधिक) :– NA

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :–

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से :–

(ख) अंचल / अनुमंडल में संधारित बंदोबस्ती पंजी से :–

(ग) दाखिल–खारिज / भू–हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :–

अंचल कार्यालय में मौजूद पंजी एवं खतियान से

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक–01.01.1946 के पूर्व से कायम है :– नहीं

(ख) क्या दिनांक–01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल–दर–साल निर्गत है? :– नहीं

11. क्या दिनांक–01.01.1946 के बाद से 1955–56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :– नहीं

12. वर्ष 1954–55 में हुए फिल्ड –बुझारत पंजी में दखल–कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :– नहीं

13. राजस्व उप–निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :–

प्रतिवेदित भूमि मौजा करकी खुर्द के खाता 25 प्लॉट 106, 533 रकबा 1.50 भूमि मांग पंजी II के पेज नं० 68/II पर तिलक सिंह वो जौहरी सिंह पिता गणेश के नाम से दर्ज है। मांग पंजी II में मांग कायम का आधार दर्ज नहीं है। मांगधारी का बिहार भूदान यज्ञ कमिटि द्वारा प्रपत्र 5 में प्रपत्र ख – 183264/12000 के द्वारा प्राप्त है। उक्त भूमि L.R.D.C/SDO द्वारा लगान निर्धारण का संपुष्टि प्रपत्र E के द्वारा नहीं किया गया। मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल–कब्जा स्पष्ट नहीं है। उक्त भूमि गैरमजरुआ खाते की है तथा भूमि का किस्म जंगल झाड़ी दर्ज है। अत: उपरोक्त मांग अवैध प्रतीत होता है अतः अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :–

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, सही पाया। अत: उपरोक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	भूमि–सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर।	अनुमण्डल पदा०, छत्तरपुर।	अपर समाहर्त्ता, पलामू।	उपायुक्त, पलामू।

Scanned with CamScanner

...स्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- तिलक सिंह वो जौहरी सिंह पिता गणेश सिं...

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या ......II...... पृष्ठ सं॰ ...II.... पर कायम है

मौजा	थाना नं॰	खाता सं॰	खेसरा सं॰	रकवा
केरकी खुर्द	297	25	533, 106	1.50

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी II में आधार दर्ज नहीं है।

4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैरमजरुआ मालिक

5. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- कोई भी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है।

6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- पंजी II में आधार दर्ज नहीं है।

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार पंजी II में दर्ज नहीं है।
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भू-बंदोबस्ती) :-

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न/ बंदोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)
:- -

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र॰ सं॰	लगान रसीद सं॰	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	4769431	20/3/2011	2010-11

[signature] PSI [signature] CI [signature]

Scanned with CamScanner

517 (गोपालगंज) AL 68 II 19-54 2011 नि

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं0 294 / 2016-17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950

सूचना

बनाम विनोद सिंह

पिता - अशोक सिंह

....

एतद द्वारा आपको सूचित कया जाता है कि मौजा तेन्दुवा खुर्द थाना नं0 297 खाता सं0 215 खेसरा नं0 — रकबा 1.50 से संबंधित आपके नाम से ह0 नं0 V के पंजी–II भाग II के पृष्ठ 68 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न–1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहूँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

9693853432

इसे सख्त ताकिद जाने।

(हस्ताक्षर) 10/12/22

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

Digitally signed by MODASAR NAZAR MANSURI
Date: 2023.01.11 17:31:17 +05:30
Location: 192.168.143.5

Scanned with CamScanner